

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 1973/चैत्र 14, 1895

No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 1973/CHAITRA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April 1973

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (a) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and rule 4 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri R. N. Chopra, Special Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) as Chairman of the Board of Directors of the Food Corporation of India with effect from the 23rd March, 1973 and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, under the heading "Chairman, appointed under section 7(1)(a)", against item (1), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri R. N. Chopra, Special Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food)".

[No. F. 4-4/73-FCC.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 196(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम, नियम, 1965 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० एन० चोपड़ा, विशेष सचिव, भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) को 23 मार्च, 1973 से भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सख्या सा० का० नि० 37, दिनांक 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

कथित अधिसूचना में खण्ड “7(1) (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष” शीर्षक की अधीन मब (1) के सामने प्रविष्टि के लिए प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“श्री आर० एन० चोपड़ा, विशेष सचिव, भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग)”

[सं० फा० 4-4/73-एफ० सी० सी०]

ए० के० मजुमदार, सयुक्त सचिव।